

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

अधि०सू०सं.— 2551 / ग्रा०वि० पटना दिनांक :— 20 / 03 / 07

ग्रा० वि० 1 स्था (रा० प० / सूचना)—08 / 2006

खंड

अधिसूचना

विभागीय अधिसूचना संख्या—493 दिनांक 12.1.2007 को आंशिक संशोधन करते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5(1) एवं धारा 19(1) के तहत ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन बिहार राज्य के सभी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में पदस्थापित सहायक परियोजना पदाधिकारी को उनके पदनाम से लोक सूचना पदाधिकारी एवं निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन को उनके पदनाम से अपीलीय प्राधिकारी अभिहीत निम्न रूप से किया जाता है :—

क्रमांक	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का नाम तथा जिला	पदनाम से नामित लोक सूचना पदाधिकारी	पदनाम से अभिहीत अपीलीय प्राधिकारी
1	2	3	4
1	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पटना	सहायक परियोजना पदाधिकारी	निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन
2	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, नालंदा	सहायक परियोजना पदाधिकारी	निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन
3	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, रोहतास(सासाराम)	सहायक परियोजना पदाधिकारी	निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन
4	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, भभुआ (कैमुर)	सहायक परियोजना पदाधिकारी	निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन
5	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, भोजपुर (आरा)	सहायक परियोजना पदाधिकारी	निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन
6	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बक्सर	सहायक परियोजना पदाधिकारी	निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन
7	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गया	सहायक परियोजना पदाधिकारी	निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन
8	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जहानाबाद	सहायक परियोजना पदाधिकारी	निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन
9	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, अरवल	सहायक परियोजना पदाधिकारी	निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन
10	जिला ग्रामीण विकास	सहायक परियोजना	निदेशक,

29	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, किशनगंज	सहायक परियोजना पदाधिकारी	निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन
30	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, कटिहार	सहायक परियोजना पदाधिकारी	निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन
31	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, भागलपुर	सहायक परियोजना पदाधिकारी	निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन
32	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बांका	सहायक परियोजना पदाधिकारी	निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन
33	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मुंगेर	सहायक परियोजना पदाधिकारी	निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन
34	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, लखीसराय	सहायक परियोजना पदाधिकारी	निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन
35	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, शेखपुरा	सहायक परियोजना पदाधिकारी	निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन
36	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जमुई	सहायक परियोजना पदाधिकारी	निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन
37	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, खगड़िया	सहायक परियोजना पदाधिकारी	निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन
38	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बेगुसराय	सहायक परियोजना पदाधिकारी	निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन

2. जिस जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में एक से अधिक सहायक परियोजना पदाधिकारी पदस्थापित है, वहाँ के उप विकास आयुक्त किन्हीं एक सहायक परियोजना पदाधिकारी को लोक सूचना पदाधिकारी नामित करेंगे।

3. जिस जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में सहायक परियोजना पदाधिकारी पदस्थापित नहीं है, उस जिला के उप विकास आयुक्त जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में कार्यरत किसी अन्य पदाधिकारी को लोक सूचना पदाधिकारी नामित करेंगे।

4. यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0 / -
(नृपति मंडल)
सरकार के उप सचिव